



महत्मा ज्योतिबा फुले कृषि विज्ञान प्रस्थान, बरेली

MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHLIKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

दिनांक: 30.05.2019

पत्रांक : क.वि./सम्. /2019/

6964-6965

प्रार्थना,

राजकीय महाविद्यालय,

रजानगर स्वार रामपुर।

विषय:

संस्था राजकीय महाविद्यालय, रजानगर स्वार रामपुर, को स्नातक स्तर पर कला संकायान्तर्गत बी०ए० (हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास, गृहविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र व मनोविज्ञान), विज्ञान संकायान्तर्गत बी०ए०एस-सी० (शैव व ब्राह्म युग) तथा बाण्डोपत्य संकायान्तर्गत बी०कॉम० पाठ्यक्रमों/ विषयों में सम्बद्धता की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37 (2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपरान्त को समाप्त कर दिया गया है तथा सम्बद्धता का अधिकार विश्वविद्यालयकी प्राप्त हो गया है। मूल अधिनियम की धारा 37 में विहित प्रावधानों के अलावा तथा शासनादेश सं. सम्ब-1145/सत्तर-2-2014-16(258) / 2013 दिनांक 01.08.2014 के अनुपालन में पूर्व स्थापित महाविद्यालयों तथा नवीन महाविद्यालयों के सम्बद्धता प्रस्तावों पर विचार करने हेतु सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 30.05.2019 को आहूत की गयी। सम्बद्धता समिति द्वारा की गयी संस्तुति का कार्यादेश सं. अनुमोदन की प्रत्याशा में संस्था राजकीय महाविद्यालय, रजानगर स्वार रामपुर, को स्नातक स्तर पर कला संकायान्तर्गत बी०ए० (हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास, गृहविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र व मनोविज्ञान), विज्ञान संकायान्तर्गत बी०ए०एस-सी० (शैव व ब्राह्म युग) तथा बाण्डोपत्य संकायान्तर्गत बी०कॉम० पाठ्यक्रमों/ विषयों में दिनांक 01.07.2019 से स्याई सम्बद्धता निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है। कमियाँ/शर्तों की पूर्ति नहीं होने की दशा में सम्बद्धता खत: निरस्त मानी जायेगी।

महाविद्यालय द्वारा 3050 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा 37(2) में प्राविष्टानित परन्तुक के अनुसार शिक्षण सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व सभी निष्पत्तित मानकों को पूर्ण कर लिया जाय अन्यथा कि स्थिति में छात्रों का प्रवेश खत: प्रतिबन्धित रहेगा। मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के संबंध में निर्गत शासनादेश सं. 522/सत्तर-2-2013-(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के साथ ही सुनिश्चित किया जायेगा। यदि महाविद्यालय द्वारा निष्पत्तित शर्तों एवं मानकों की पूर्ति तथा उनकी निरन्तरता की सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी। संस्थान/महाविद्यालय विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय नियमानुसार की जायेगी। महाविद्यालय विश्वविद्यालय प्रबन्धन का होगा। उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 332/सत्तर-3-2018 दिनांक 26 फरवरी 2018 के अनुसार महाविद्यालय को प्रत्येक वर्ष AISHE का DCF-II का फार्म अपलोड करना अनिवार्य होगा। सभी महाविद्यालयों में विद्यमान छात्रों की सुविधा हेतु स्तरीय का निर्माण कराया जाना आवश्यक होगा। संस्था का उपयोग शिक्षणकार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य में नहीं किया जायेगा एवं संस्था परिसर को रैनिंग से मुक्त रखेगी। उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबन्धन का होगा। महाविद्यालय को सम्बद्धता नहीं दी जा सकती थी तो प्रदत्त सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी, जिसका पूर्ण पया जाता है कि स्थापित अभिलेख/सूचना केंद्रित अथवा असत्य थी एवं ऐसा कोई तथ्य छिपाना गया हो जिससे कि महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रबन्ध तंत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि किसी स्तर पर सम्बद्धता को शर्त पूर्ण कर रहा है।

01. निजी सचिव, कृतपति।
02. वित्त अधिकारी, एम०उ०वी०ए०क०वि०, बरेली।
03. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली।
04. परीक्षा नियन्त्रक को अग्रिम कार्यवाही हेतु।
05. श्री रविन्द्र गौतम, प्रोग्रामर को इस आशय से कि सूचना विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करे।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

भारतीय
Bareilly
M.J.P. Rohilkhand University
Bareilly

कलसाचिव